दक्षिण भारतीय राज्यों में कोरोना से अब तक 20,540 की मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल में काफी कहर बरपाया है और इन राज्यों में इस विषाणु के कारण अब तक 20,540 लोगों की मौत हो चुकी है, जो इस संक्रमण से देशभर में हुई कुल 73,890 मौतों का 27.80 प्रतिशत है। तमिलनाडु में कोरोना से अब तक 8,012 लोगों की मौत हुई है। वहीं कर्नाटक में 6,680, आंध्र प्रदेश में 4,560, तेलंगाना में 916 तथा केरल में 372 मरीजों की मौत हुई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में इस संक्रमण के 89,706 नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 43,70,129 हो गया। वहीं 33,98,845 लोग अब तक संक्रमणमुक्त हुए हैं। देश में कोविड-19 के कारण अब तक 73,890 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय कोरोना के 8,97,394 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में कोरोना से संक्रमितों की संख्या इस प्रकार है-

न्यायालय ने नीट परीक्षा स्थगति या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 13 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने कहा, ''माफ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते।'' न्यायालय ने नीट और जेईई की परीक्षा की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के उसके आदेश पर पुनर्विचार के लिये गैर-भाजपा शासित छह राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सभी याचिकाएं चार सितंबर को खारिज कर दीं थीं, जिसके साथ ही नीट और जेईई परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया था।

दिल्ली मेट्रो की ब्लूलाइन तथा पिंकलाइन पर सेवा बहाल

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो की 3/4 ब्लूलाइन, द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी/वैशाली और लाइन सात (पिंक लाइन) मजलिस पार्क से शिव विहार का संचालन बुधवार से शुरू हो गया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने आज ट्वीट कर कहा, %ब्लूलाइन तथा पिंकलाइन की सेवा आज शुरू हो गयी। धीरे-धीरे मेट्रो पटरी पर आएगी और आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी।% डीएमआरसी के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा, %दोनों पर मेट्रो की सेवा सुबह सात बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक तथा शाम चार बजे से रात आठ बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसी समय सारिणी के अनुसार येलोलाइन तथा रैपिडलाइन पर मेट्रो ट्रेनों का परिचालन सोमवार से शुरू हो गया है।% गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के कारण एहतियात के तौर पर पिछले करीब पांच महीने से बंद दिल्ली मेट्रो की सीमित सेवाएं सात सितंबर को बहाल की गयी।

खादी पोर्टल पर 1000 उत्पाद मिल सकेंगे

नई दिल्ली। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर तक अपने पोर्टल पर कम से कम एक हजार उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि खादी का पोर्टल सात जुलाई को मात्र मास्क की बिक्री के साथ शुरू किया गया था जिसने थोड़े समय में ही देशभर में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। प्रतिदिन कम से कम और दस उत्पाद पोर्टल पर बिक्री के लिए रखे जा रहे हैं और दो अक्टूबर पर पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों की संख्या 1000 को पार कर जाएगी। इनमें वस्त्र, खाद्य पदार्थ, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं। फिलहाल पोर्टल पर 180 खादी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और चार हजार से ज्यादा लोगों ने खरीदारी की है। आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को यहां बताया कि खादी उत्पादों का उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना और स्थानीय शिल्पकारों को सशक्तिकरण करना है। पोर्टल से शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए नया बाजार उपलब्ध होगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर उपलब्ध उत्पादों की कीमत 50 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक है। श्री सक्सेना ने बताया कि पोर्टल पर उन क्षेत्रों से भी लोग खरीद कर रहे हैं जहां खादी उत्पादों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ये आर्डर 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले हैं। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। खादी आयोग ने 599 रुपए और इससे अधिक राशि की खरीदारी पर मुफ्त आपूर्ति की व्यवस्था की है। ये आर्डर स्पीड पोस्ट से भेजे जाते हैं।

पाक से ड्रग तस्करी का प्रयास नाकाम, बीएसएफ ने 2 तस्कर मार गिराए

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बुधवार को कहा कि उसने पाकिस्तान से मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया और दो तस्करों को मार गिराया गया। साथ ही एक हथियार और गोला-बारूद का जखीरा और आठ किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए हैं। यह घटना राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8-9 सितंबर की रात के बीच हुई। बीएसएफ के एक बयान के अनुसार, श्रीगंगानगर बार्डर आउटपोस्ट के बीओपी ख्यालीवाला के एओआर में भारतीय सीमा में पाकिस्तान की तरफ से मादक पदार्थ तस्करी के बारे में विशेष खुफिया सूचना मिलने के बाद इस अभियान को अंजाम दिया गया। इसमें कहा गया है, सतर्क बीएसएफ सैनिकों ने हथियारबंद तस्करों के नापाक प्रयास को नाकाम कर दिया और दो तस्करों को मार गिराया। बयान में कहा गया, इस क्षेत्र की तलाशी लेने पर, बीएसएफ ने मार गिराए गए दोनों घुसपैठियों के शव, दो पिस्तौल, चार मैगजीन, 28 राउंड गोला बारूद, आठ किलो वजन वाले ड्रग्स के आठ पैकेट, दो अतिरिक्त सेल के साथ एक नाइट विजन डिवाइस, 13,000 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा, एक पिस्तौल कवर और एक छोटा चाकू बरामद हुए।

4442 मामलों में वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायक मुकदमों का सामना कर रहे हैं

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय को सभी उच्च न्यायालयों से मिली जानकारी के अनुसार देश में नेताओं के खिलाफ 4,442 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और इनमें से 2,556 ऐसे मामलों में वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। संसद और विधान सभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निबटारे के लिये दायर याचिकाओं पर न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को ऐसे लंबित मामलों का विवरण पेश करने का निर्देश दिया था। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने सभी उच्च न्यायालयों से मिले विवरण को संकलित करके अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, ''सभी उच्च न्यायालयों द्वारा दी गयी रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल 4,442 ऐसे मामले लंबित हैं, इनमें से 2,556 मामलों में वर्तमान सांसद-विधायक आरोपी हैं। इनमें से 352 मामलों की सुनवाई उच्चतर अदालतों के स्थगन आदेश की वजह से रूकी है।'' न्यायालय में पेश 25 पेज के हलफनामे में कहा गया है कि इन 2,556 में निर्वाचित प्रतिनिधि आरोपी हैं। इन मामलों में संलिप्त प्रतिनिधियों की संख्या मामलों से ज्यादा है क्योंकि एक मामले में एक से ज्यादा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं जबकि यही प्रतिनिधि एक से अधिक मामलों में आरोपी है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश पर यह रिपोर्ट दाखिल की गयी। हंसारिया ने अपने हलफनामे में राज्यों के अनुसार भी मामलों की सूची पेश की है जिनमें उच्चतर अदालतों के स्थगन आदेशों की वजह से मुकदमों की सुनवाई रूक गयी है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय ने 352 मामलों की सुनवाई पर रोक लगायी है। 413 मामले ऐसे अपराधों से संबंधित हैं जिनमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इनमें से 174 मामलों में पीठासीन निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस चार्ट में सबसे ऊपर उप्र है जहां विधि निर्माताओं के खिलाफ 1,217 मामले लंबित हैं और इनमें से 446 ऐसे मामलों में वर्तमान विधि निर्माता शामिल हैं। इसी तरह,बिहार में 531 मामलों मे से 256 मामलों में वर्तमान विधि निर्माता आरोपी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनेक मामले भ्रष्टाचार निरोधक कानून, धनशोधन रोकथाम कानून, शस्त्र कानून, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से रोकथाम कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दर्ज हैं। न्याय मित्र ने इन नेताओं से संबंधित मुकदमों के तेजी से निबटारे के लिये न्यायालय को कई सुझाव भी दिये हैं। इनमें सांसदों और विधायकों के मामलों के लिये प्रत्येक जिले में विशेष अदालत गठित करने का सुझाव शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों को ऐसे मामलों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। हलफनामे में सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य में लंबित ऐसे मामलों की प्रगति की निगरानी और शीर्ष अदालत के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये 'सांसद/विधायकों के लिये विशेष अदालत नाम से अपने यहां 'स्वतः' मामला दर्ज करना चाहिए। इसमें कहा गया है, ''प्रत्येक उच्च न्यायालय पूर्व और वर्तमान विधि निर्माताओं से संबंधित मुकदमों की संख्या और मामले की प्रवृत्ति को देखते हुये उन्हें सुनवाई के लिये आवश्यकतानुसार सत्र अदालतों और मजिस्ट्रेट की अदालतों को नामित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय आदेश के चार सप्ताह के भीतर इस तरह का फैसला ले सकते हैं।'' रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि विशेष अदालतों को उन मुकदमों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें अपराध के लिये दण्ड मौत की सजा या उम्र कैद है। इसके बाद सात साल की कैद की सजा के अपराधों को लेना चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वर्तमान विधि निर्माताओं से संबंधित मामलों को पूर्व विधि निर्माताओं के मामलों में प्राथमिकता दी जाये और विशेष अदालत में चल रहे मुकदमों के मामलों में फारेंसिक प्रयोगशालाओं को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने वर्तमान उन सांसदों और विधायकों के संबंध में आदेश दिया था जिनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 (1)(2) और धारा 8(3) के तहत अभियोग निर्धारित किये जा चुके हैं। न्यायालय ने इन माननीयों के मुकदमों की सुनवाई तेजी से करने और यथासंभव अभियोग निर्धारित करने की तारीख से एक साल के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने ऐसे मामलों की सुनवाई रोजाना करने का निर्देश दिया था और कहा था कि अपरिहार्य कारणों से अगर अदालत एक साल के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं कर पाती है तो उसे इस बारे में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित अदालत को मुकदमे की सुनवाई पूरी करने की अवधि के बारे में उचित आदेश दे सकते हैं।

अपने लिए नवाचार कर नई ऊँचाई पर पहुँचेगा भारत : जावडेकर

नई दिल्ली। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा कि दुनिया के बड़े से बड़े अनुसंधान एवं नवाचार में भारतीय दिमाग होता है लेकिन हम अब तक दूसरों के लिए नवाचार करते रहे हैं, अब समय आ गया है कि हम अपने लिए नवचार कर नई ऊँचाई हासिल करें। भारत उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की '15वीं स्थायित्व बैठक' को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुये श्री जावडेकर ने कहा, ÷आत्मनिर्भर भारत आत्मकेंद्रित होने के बारे में नहीं है। यह नवाचार और अनुसंधान के बारे में है। नासा से लेकर दुनिया के किसी भी बड़े नवाचार में भारतीय दिमाग रहता है। हम अब तक नवाचार में सहायक रहे हैं, लेकिन उस पर हमारा हक नहीं होता है, उसका पेटेंट हमारे नाम नहीं होता है। अब हम अपने लिए नवाचार करेंगे जो हमें नई ऊँचाई पर ले जायेगा।÷ प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देशों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जब तक बड़े देश उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम नहीं करेंगे तब तक अन्य देशों के प्रयास सफल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा ÷भारत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं। इसके बावजूद भारत हमेशा से समाधान का हिस्सा रहा है और इसलिए उसने स्वयं ही उत्सर्जन कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किये हैं तथा इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।÷ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी देशों को यह बताना चाहिये कि स्थायित्व (सस्टेनेबिलिटी) हासिल करने के लिए उनकी क्या योजना है। यदि बड़े देश सक्रियता से प्रयास नहीं करेंगे तो भारत और कुछ अन्य देशों के प्रयास व्यर्थ हो जायेंगे।

कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या नये शिखर पर, एक दिन में रिकॉर्ड 74,894 स्वस्थ

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के दिनोंदिन बढ़ते मामलों के साथ ही इस संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान 74,894 लोगों के रोगमुक्त होने से लगातार दूसरे दिन स्वस्थ होने के मामले में नया रिकॉर्ड बना। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण से छुटकारा पाने वालों की संख्या 33,98,845 पर पहुंच गयी है। वहीं कोरोना संक्रमण के 89,706 नये मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 43,70,129 हो गया। स्वस्थ होने वालों की तुलना में संक्रमण के नये मामले अधिक होने से सक्रिय मामले 13,697 बढ़कर 8,97,394 हो गये हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1,115 संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की संख्या 73,890 हो गयी। देश में सक्रिय मामले 20.53 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 77.77 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.69 फीसदी है। कोविड-19 से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और यह 6,517 बढ़कर 2,43,809 हो गयी तथा 380 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 27,407 हो गया। इस दौरान 13,234 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 6,72,556 हो गयी। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं। आंध्र प्रदेश में इस दौरान मरीजों की संख्या 1,163 कम होने से सक्रिय मामले 96,769 रह गये। राज्य में अब तक 4560 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल 4,15,765 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में 83 की कमी हुई है और राज्य में अब 96,937 सक्रिय मामले हैं। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 6,680 पर पहुंच गया है तथा अब तक 3,08,573 लोग स्वस्थ हुए हैं।

भारत में कोविड-19 के 89,706 नए मामले, 1,115 और लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोविड-19 के 89,706 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले बुधवार को 43 लाख के पार चले गए। वहीं 33,98,844 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद मरीजों के ठीक होने की दर 77.77 प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह आठ बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 43,70,128 हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,115 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 73,890 हो गई है। देश में कोविड-19 से मृत्यु दर घटकर 1.69 प्रतिशत हो गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब भी 8,97,394 लोगों का कोरोना संक्रमण के लिए इलाज जारी है, जो कि कुल मामलों का 20.53 प्रतिशत है। भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या सात अगस्त को 20 लाख को पार कर गई थी जबकि 23 अगस्त को 30 लाख के पार और पांच सितंबर को 40 लाख के पार पहुंच गई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार देश में आठ सितम्बर तक 5,18,04,677 नमूनों की कोविड-19 के लिए जांच की गई है, जिनमें से 11,54,549 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई।

असंगठित अर्थव्यवस्था, युवाओं के भविष्य और गरीबों पर आक्रमण था लॉकडाउन : राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से अचानक लगाया गया लॉकडाउन देश के युवाओं के भविष्य, गरीबों और असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। राहुल ने वीडियो जारी कर यह भी कहा कि इस आक्रमण के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि यह लॉकडाउन देश के असंगठित वर्ग के लिए 'मृत्युदंड' साबित हुआ। कांग्रेस नेता ने वीडियो में कहा, ''कोरोना के नाम पर जो किया गया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण था। गरीब लोग, छोटे एवं मध्यम कारोबारी रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। लेकिन आपने बिना किसी नोटिस के लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया।'' उन्होंने दावा किया, ''प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र के रीड़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई।'' उनके मुताबिक, जब लॉकडाउन के खुलने का समय आया, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा कि गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, 'न्याय' योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक खातों में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यह नहीं किया । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ''हमने कहा कि लघु एवं मध्यम स्तर के कारोबारों के लिए आप एक पैकज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है। सरकार ने कुछ नहीं किया, उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ों रुपये का कर माफ किया।'' राहुल ने दावा किया कि लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, बल्कि यह हिंदुस्तान के गरीबों, युवाओं के भविष्य, मजदूर किसान और छोटे व्यापारियों तथा असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। उन्होंने कहा, ''हमें इस बात को समझना होगा और इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा।''

राष्ट्रपति भवन में जवान ने की खुदकुशी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन में सुरक्षाकर्मियों की बैरक में सेना के एक जवान ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस को बुधवार तड़के चार बजे सूचना मिली। जवान की पहचान तेक बहादुर थापा मगार (30) के रूप में हुई है। उसने राष्ट्रपति भवन के गोरखा बैरक में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। वह नेपाल का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार चश्मदीदों ने बताया कि जब उन्होंने तड़के करीब 3.30 बजे ड्यूटी करके वापस बैरक में आकर लाइट जलाई तो देखा कि तेक बहादुर पंखे से लटका हुआ है। उन्होंने तुरंत अलार्म बजाई और साथियों की मदद से उसे नीचे उतारकर दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि वह अत्यधिक कमर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर से परेशान था।

घबराया चीन, अपने नागरिकों को समझा रहा कि वो युद्ध लड़ सकता है

नई दिल्ली। चीन घबराया हुआ है और अब अपने ही लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना युद्ध लड़ सकती है। साथ ही वह यह भी समझा रहा है कि उसे भारत के साथ युद्ध करने का फायदा मिलेगा। इससे साफ जाहिर है कि सीमा पर भारत के आक्रामक रुख से चीन बैकफुट पर है। चीन के स्टेट मीडिया से संबद्ध ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, ÷भारत को लेकर चीन की नीति ताकत पर आधारित है और अगर आम लोग भारतीय उकसावे से नहीं डरते हैं, तो पीएलए कैसे डर सकता है? ऐसे में देश कैसे कमजोर हो सकता है? हर किसी को यह मानना होगा कि चीन भारत पर हावी है और ऐसे में हम भारत को चीन का फायदा नहीं उठाने देंगे। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर-इन-चीफ हू शिजिन ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा, ÷चीन-भारत सीमा की सीमावर्ती स्थिति से परिचित लोगों ने मुझे बताया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का पूरी स्थिति पर दृढ़ नियंत्रण है और युद्ध की स्थिति में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह कैसे लड़ा जाता है। पीएलए के पास भारतीय सेना को हराने की पूरी क्षमता है। इतना ही नहीं भारत-चीन सीमा पर चीन अपनी एक इंच जमीन भी नहीं खोएगा। इसे लेकर हम चीनी लोगों को आश्वस्त करते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया, ÷भारतीय पक्ष हमेशा यह समझता है कि चीन भारत के साथ युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद इसके पीछे कारण यह है कि चीन ने पिछले 30 से ज्यादा वर्षों से युद्ध नहीं लड़ा है और वह शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ बाहरी ताकतें सवाल उठाती हैं कि यदि आवश्यक होगा तो क्या हम लड़ेंगे या समझौता करेंगे। चीन मौजूदा हालात की तुलना 1962 के युद्ध से कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, ÷1962 के युद्ध से पहले भारत चीन के क्षेत्र में अतिक्रमण करने और पीएलए को चुनौती देने से नहीं डरता था और अंततः भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मौजूदा हालात 1962 की लड़ाई के बेहद करीब हैं। सीमावर्ती स्थिति काफी तनावपूर्ण है और दोनों पक्षों के बीच सीधे तौर पर गोलीबारी करने की गंभीर संभावना है। उन्होंने आगे लिखा, ÷मेरा चीनी सेना के साथ घनिष्ठ संपर्क है और मैं एक पूर्व सैनिक भी हूं। मुझे भारतीय पक्ष को चेतावनी देनी चाहिए कि पीएलए पहले गोली नहीं चलाती है, लेकिन अगर भारतीय सेना पीएलए पर पहली गोली चलाती है, तो इसका परिणाम मौके पर भारतीय सेना का सफाया होगा। यदि भारतीय सैनिकों ने संघर्ष को बढ़ाने की हिम्मत की, तो और अधिक भारतीय सैनिकों का सफाया हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में शारीरिक संघर्ष में अपने 20 सैनिकों को खो दिया है, उनके पास पीएलए का मुकाबला करने का कोई मैच नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखा, ÷बहुत से चीनी यह सोचकर पछता रहे हैं कि शायद शांतिपूर्ण विकास करना महान शक्ति चीन की नियति में नहीं है और शायद इसीलिए चीन को अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है।÷ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, न कि चीन को मजबूर करना चाहिए कि वह जबरदस्ती उकसाने वाले भारतीय सैनिकों पर अपनी मजबूत इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करे।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा कैशबैक : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को रेहड़ी-पटरी वालों से डिजिटल भुगतान को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि आप डिजिटल लेन-देन करेंगे तो आपके खाते में सरकार की ओर से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी-पटरीवालों के साथ ÷स्वनिधि संवाद' में उन्हें प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करने की भी सलाह दी। कोरोना के मद्देनजर स्ट्रीट वेंडर्स से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा करने से उनकी आय भी बढ़ेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि सिर्फ 2 महीने में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स-रेहड़ी-पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का उद्देश्य वेंडर्स को आर्थिक मदद देकर उन्हें नई शुरुआत करने के योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री ने पूर्व सरकारों पर गरीबी के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे देश में गरीबों की बात बहुत हुई है लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले डिजिटल दुकानदारी में पीछे न रहे, इसके लिए बैंकों और डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने वालों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की गई है। अब बैंको और संस्थाओं के प्रतिनिधि रेहड़ी, ठेले पर आएंगे और क्यूआर कोड देंगे। वह दुकानदारों को इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक

कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अपनी और अपने ग्राहकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। मास्क, साफ सफाई, दो गज की दूरी, इन सभी को अपनाना ही है। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना से जुडने वाले रेहड़ी पटरी वालों का जीवन आसान बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी या ठेला लगाने वाले के पास उज्जवला का गैस कनेक्शन है या नहीं, उनके घर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें देखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हाल में सरकार ने शहरों में आप जैसे साथियों के उचित किराए में बेहतर आवास उपलब्ध कराने की भी एक बड़ी योजना शुरु की है। एक देश, एक राशन कार्ड की सुविधा से आप देश में कहीं भी जाएंगे तो अपने हिस्से का सस्ता राशन ले पाएंगे। जनधन योजना योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश का गरीब तो कागजों के डर से बैंक में जाता तक नहीं था। जनधन योजना के माध्यम से देश में 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इन जनधन खातों से गरीब बैंक से जुड़ा, तभी तो उन्हें आसानी से लोन, आवास योजना का लाभ, आर्थिक मदद मिल रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित गरीब रेहड़ी-पटरीवालों की आजीविका से जुड़ी गतिविधियां बहाल करने के उद्देश्य से इस 1 जून को पीएम स्वपनिधि योजना की शुरूआत की थी। इसमें रेहड़ी-पटरी वालों को आसान शर्तों और किस्तों पर 10 हजार रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 10.12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और 3.42 से ज्यादा आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक 87,193 लोगों को इस योजना के तहत ऋण दिया जा चुका है।

दादी-नानी के नुस्खों को वैश्विक पहचान दिलाने की जरूरत : हरसिमरत

नई दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज कहा कि देश के औषधीय उत्पादों और दादी-नानी के घरेलू नुस्खों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की जरूरत है। मंत्रालय के सहयोग से लगाये गये पहले जैविक उत्पाद संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद श्रीमती बादल ने यह बात कही। ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की टी-बैग बनाने वाली यह इकाई उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह इकाई 'ब्रांड इंडिया' को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में मददगार होगी। कोविड-19 महामारी ने प्रकृति की तरफ वापस मुड़ने की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित किया है। भारतीय औषधियाँ और सुगंधित उत्पाद देश की ताकत हैं। हजारों साल से हमारे घरों में दादी-नानी के नुस्खों से बीमारियों का उपचार किया जाता रहा है। इन्हें दुबारा वैश्विक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रसायनों और कीटनाशकों का इस्तेमाल ज्यादातर बीमारियों की जड़ हैं। जैविक उत्पादों को अपनाने से इसका हल हो सकता है।

Morning Glory Leasing & Finance Limited
CIN: L67120DL1984PLC018872
Tel. No.: +91 11 47119100
Regd. Off: Iris House, 16, Business Centre, Nangal Raya, New Delhi- 110046
Email: morningglorylleasing@gmail.com
Website: www.morningglorylleasing.in
NOTICE
NOTICE is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of the Directors of the Company will be held on Tuesday, 15th September, 2020 at Registered office of the Company, to inter-alia, consider and approve the Un-audited Financial Results for the Quarter ended 30.06.2020.
Further, details of this notice are available on Website of the company at www.morningglorylleasing.in and also on the Website of MSEI Lt